भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GH 502162

NOTARY

(प्रारुप अ)

हम रमाशंकर (अध्यक्ष) एवम विजयमल यादव (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवम सचिव सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एवम पता श्री रामनरेश यादव कृषक महाविद्यालय समिति मोलनापुर दुबारी मऊ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है -

1- यह कि हमारी पता श्री रामनरेश यादव कृषक महाविद्यालय समिति मोलनापुर दुबारी मऊ द्वारा माँ समराजी देवी कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी मोलनापुर दुबारी मऊ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है ।

2- यह कि हमारी श्री रामनरेश यादव कृषक महाविद्यालय समिति मोलनापुर दुबारी मऊ 0.810 हक्टेयर (कुल जहां पर भूमि स्थित है) मोलनापुर,दुबारी में गाटा संख्या 2742,2746 रकबा क्रमशः रकबा 0.810 हेक्टेयर भूमि है ।

3- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।

4- यह कि. उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2742,2746 रकबा कमशः 0.810 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक [illegible]/06/2022 द्वारा पारित किया गया है ।

5- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण [illegible] के अनुसार किया गया है ।

Scanned with AnyScanner

STAMP 2
कोषागार मऊ
दि० 8 JUN 2023
Sr.T.O.
मऊ

100 ... 01.9.2023
महाविद्यालय मोलनाड़ी पु० श्री रामनरेश यादव मधुबन
100/
24
अनिल कुमार ...

NOTARY
GOVT. OF UTTAR PRADESH

09.09.23
545
Notary
SANTOSH KUMAR PANDEY
Notary ...

NOTARY

6- यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

7- यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

8- यह कि इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा ।

9-यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय/ आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है और न ही भविष्य मे कभी किया जायगा ।

10- यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।

11- यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा ।

12-यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशो का भलीभांति पालन करुँगा। यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

13- मै घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवम अभिलेख /दस्तावेज फर्जी कुटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होगा ।

ह0 सचिव

रामाशंकर यादव
ह0 अध्यक्ष

NOTARY
Santosh Kumar
(Adv.)
Regd. No.
48 (7) 2008
GOVT. OF UTTAR PRADESH

प्रबन्धक
श्री रामनरेश यादव कृषक महाविद्यालय
समिति भोलनापुर दुबारी, मधुबन-मऊ

Scanned with AnyScanner